

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018

विषय:- श्री ओम प्रकाश सिंह, पी0सी0एस, से0नि0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री ओम प्रकाश सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-11-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री ओम प्रकाश सिंह के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री ओम प्रकाश सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-छीटपुर, पो0-प्रेमधर पट्टी वाया दिलीपपुर, जनपद- प्रतापगढ़, पिन-230127 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-136/2018/3990/दो-2-2018-28/2(50)/2018
लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018

श्री ओम प्रकाश सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-11-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री ओम प्रकाश सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-छीटपुर, पो0-प्रेमधर पट्टी वाया दिलीपपुर, जनपद- प्रतापगढ़, पिन-230127 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-136/2018/3801/दो-2-2018-28/2(50)/2018
लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018
आदेश

श्री ओम प्रकाश सिंह, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या- जी0ए0यू0-70657 में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री ओम प्रकाश सिंह, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-177/ओ0डी0-742/110689/124000, दिनांक 15-03-2018, जिसमें वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-13,65,229/- (रू0-तेरह लाख पैंसठ हजार दो सौ उन्नीस मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-12,28,706 (रूपये बारह लाख अटठाइस हजार सात सौ छः मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री ओम प्रकाश सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री ओम प्रकाश सिंह, पी0सी0एस0, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, श्रावस्ती (न्यायिक)सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, श्रावस्ती ।
- 4- श्री ओम प्रकाश सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-छीटपुर, पो0-प्रेमधर पट्टी वाया दिलीपपुर, जनपद- प्रतापगढ़, पिन-230127 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।